23.09.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। अप्रार्थी संख्या 4 व 6 को बार–बार आवाजा लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा डबाल पटवार हल्का डबाल तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 985 रकबा 2.80 हैक्टयर, खसरा नम्बर 987 रकबा 1.05 हैक्टर जुमले रकबा 3.85 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी आई हुई है। उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुदा है। मौके पर मेरा कब्जा काश्त है। नर्मदा नहर हेतु अवाप्त की गई भूमि रेकर्ड में नामान्तरित व तरमीम नही की गई है। लेकिन नर्मदा नहर विभाग द्वारा अवाप्त की सम्पूर्ण कार्यवाही कर मौके पर नहर निर्माण कर दिया गया है। अवाप्ती के बाद शेष बची आराजी के मै प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी है। मौके पर भी सभी खातेदार के मध्य भौतिक व बहामी रूप से बंटवाड़ा हो चुका है व बंट अनुसार मुझ प्रार्थी के हिस्से पर काबिज है और रहवासी ढाणी बनी हुई है। उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड ममें सामलाती दर्ज होने से हमें विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पाता है उत्पाद व फसलों बाबत आपस में विवाद होते रहते है। अप्रार्थीगण को सहमति बंटवाड़े का निवेदन किया तो उल्टे मेरे को कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी एवं बदमाश प्रवृति के व्यक्ति को बैचान करने की धमकी दी। वादग्रस्त आराजी बिना विधिवत बंटवाड़ा किये अन्य अजनबी व्यकित हो हस्तान्तरित कर दी गई तो मुझ प्रार्थी के मध्य भारी विवाद व मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगी जिससे मुझ प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन दृव्य में किया जाना मुमकिन नही होगा। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधारभुत सिद्वांत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के ताफैसला अप्रार्थीगण के विरूद्व तथा मुझ प्रार्थी के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारीकर अप्रार्थीगण को जरियें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का कब्जा काश्त में प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा है तथा मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बॉय मिट्स एण्ड बाउण्डस के यदि बंटवाड़ा किया जाता है तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी अपनी [illegible] मर्जी से विधिढग से बंटवाड़ा [illegible] चाहते है। जो गलत है। प्रार्थी को बेदखल क[illegible]ई इरादा नही है। उक्त वादग्रस्त आराजी [illegible] अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त क[illegible] है। [illegible] प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। [illegible] शामलाती भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का कोई अधिकार नही है।

हमनें वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.27 16:51:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.27 16:51:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner